



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
**NAAC Accreditation- "A" Grade**

**कादर नवाज़ ख़ान**

**Kadar Nawaz Khan**

संयुक्त कुलसचिव/Joint Registrar

अकादमिक/ Academics

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/प्र.स./2017-18/01

दिनांक: 23. 12. 2016

## सूचना

प्रवेश समिति (2017-18) की बैठक दिनांक 26.12.2016 को पूर्वाह्न 10.30 बजे भाषा-विद्यापीठ भवन के सभाकक्ष में रखी गयी है। सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर अपेक्षित है।

**कादर नवाज़**

(कादर नवाज़ ख़ान)

23/12/16

प्रति: सभी माननीय सदस्य।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. कार्यालय प्रति।



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
**NAAC Accreditation- "A" Grade**

कादर नवाज़ ख़ान

**Kadar Nawaz Khan**

कार्यकारी कुलसचिव /Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/प्र.स./2017-18/01/629

## अधिसूचना

दिनांक: 21.12.2016

विश्वविद्यालय अकादमिक अध्यादेश क्र. 1.3 (बी) में दिये गये प्रावधान के अंतर्गत सत्र 2017-18 की प्रवेश अर्हताएँ, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश नियमों की समीक्षा एवं दिशा-निर्देश तय करने के लिए निम्नानुसार प्रवेश समिति का गठन किया जाता है-

क्र.सं.	अध्यादेश में दिया गया प्रावधान	नामित व्यक्ति का नाम
01	अध्यक्ष, कुलपति द्वारा नामित	प्रो.हनुमानप्रसाद शुक्ल, संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ
02	समस्त संकायाध्यक्ष	संकायाध्यक्ष, भाषा विद्यापीठ संकायाध्यक्ष, साहित्य विद्यापीठ संकायाध्यक्ष, संस्कृति विद्यापीठ संकायाध्यक्ष, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ एवं सृजन विद्यापीठ संकायाध्यक्ष, शिक्षा विद्यापीठ एवं प्रबंधन विद्यापीठ संकायाध्यक्ष, विधि विद्यापीठ
03	समस्त विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष, भाषा अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटेशनल भाषाविज्ञान विभाग निदेशक, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग विभागाध्यक्ष, उर्दू साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, मराठी साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, संस्कृत साहित्य विभाग विभागाध्यक्ष, विकास एवं शांति अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग निदेशक, डॉ.बा.सा.अं.सिंदो कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र निदेशक, डॉ. भ. आ. कौ. बौद्ध अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग निदेशक, म.गां.फ. गु.सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, डायस्पोरा अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग

-अगले पृष्ठ पर-

04	चार शिक्षक सदस्य (कुलपति द्वारा नामित)	डॉ. गोपाल ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग डॉ. चित्रा माली, सहायक प्रोफेसर, विकास एवं शांति अध्ययन विभाग डॉ. अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग डॉ. लेखराम दन्ना, सहायक प्रोफेसर, संस्कृत साहित्य विभाग
----	--	---

प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल तथा चार शिक्षक सदस्य प्रवेश समिति के केंद्रीय (कोर) समूह के रूप में कार्य करेंगे। प्रवेश समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने का दायित्व इस समूह का रहेगा।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

प्रति: संबंधित सभी।

कादर नवाज़  
(कादर नवाज़ खान)

21/12/15

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र।
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. कार्यालय प्रति।